

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियाँ, आर०ए०एस०



न्याय निर्णयन आवेदन सं० 13/16

श्री प्रदीपकुमार राजपूत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर।

बनाम

मै. यशवन्त राय विनोद कुमार वार्ड नं 09 बस स्टैण्ड के पास, सादुलशहर

अभियुक्त



अपराध अ० धारा 3(1)(जैडएफ)(सी)(आई)
ऑफ सैफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड एक्ट 2006

निर्णय

दिनांक : 28.11.2016

सक्षेप में प्रकरण के सुसंगत एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रदीपकुमार राजपूत दिनांक 06-06-12 से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी, श्री गंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य सम्पादन कर रहे हैं और उसे राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एच/पीएफए/एफएसएसए/नोटिफिकेशन 2012/568 दिनांक 28-5-12 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। शासन की अधिसूचना/2011/505 दिनांक 18-8-11 के अनुसार इनका कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर आवंटित किया गया है और जिला श्री गंगानगर के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र कार्यक्षेत्र में बताए गए हैं।

श्री प्रदीप कुमार राजपूत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.02.2016 को 12:30 पी.एम. पर वास्ते चैकिंग मै. यशवन्त राय विनोद कुमार, वार्ड नं 09 बस स्टैण्ड के पास, सादुलशहर पहुंचे वहां प्रो. श्री जसवन्त राय मौजूद मिले। संस्थान में बिक्री हेतु घी सांवरिया पैकेट 1 लीटर के 15 पैकेट वास्ते बिक्री रखा हुआ था, घी सांवरिया पैकेट में मिलावट का शक होने पर उसमें से 1 लीटर 4 जगह पर (वजन 4 लीटर) वास्ते नमूना जांच संख्या के-677 लिया गया और खरीदशुदा घी सांवरिया की कीमत अखरे रूपये 1320/- गवाह श्री हरीश कुमार और श्री राकेश सचदेवा के समक्ष श्री जसवन्त राय को देकर रसीद प्राप्त की। श्री जसवन्त राय को फार्म नं० 5 ए पर नोटिस देकर बता दिया था कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है, जिसको पढ़ समझ कर सही मानकर श्री जसवन्त राय ने हस्ताक्षर किये। फार्म नं० 5 की एक प्रति श्री जसवन्त राय को देकर रसीद प्राप्त की गई। खरीदशुदा घी सांवरिया को चार सूखे व साफ डिब्बे में पैकर कर लेबल तैयार किये गये और उन पर खाद्य नमूना सं० के-677 एवं अन्य विवरण दर्ज कर उन पर स्वयं ने व विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये और इनको प्रत्येक डिब्बे पर चिपकाया गया। प्रत्येक डिब्बे को खाकी कागज से लपेट कर प्रत्येक डिब्बे पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा स्लिप के-677

Law

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

नियमानुसार नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपका कर प्रत्येक डिब्बे को धागे से बंध कर चार-चार जगह सील चपड़ी किया और प्रत्येक डिब्बे पर श्री जसवंत राय के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप एवं रेपर दोनों पर आवें। इन चारों सील्ड डिब्बे पर नियमानुसार गवाह श्री हरीश एवं राकेश सचदेवा के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने किये और इन चारों सील्ड पैकेटों को अपने कब्जे में ले लिया। इस समस्त कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई। इसके पश्चात् फार्म नं० 6 की सात प्रतियाँ तैयार की गई और प्रत्येक पर सील नमूना अंकित किया गया। जाँच नमूनों की कार्यवाही सम्पूर्ण की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना सं० के-677 की एक सील्ड पैकेट को फार्म नं० 6 की एक प्रति के साथ सील बन्द कर जन विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर के पास श्री तिलकराज, सहायक कर्मचारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के द्वारा जमा करवा दिया और फार्म नं. 6 की द्वितीय प्रति, जिसमें सील नमूना अंकित था, अलग से सील लिफाफे में जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर को श्री तिलक राज सहायक कर्मचारी द्वारा जमा करवा दिया, जिसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। खाद्य नमूना के-677के द्वितीय एवं तृतीय भाग को फार्म नं० 6 की दो प्रतियों के साथ एक आउटर कवर पैकेट में सील बंद कर एवं खाद्य नमूना के चतुर्थ भाग को फार्म नं० 6 की एक प्रति के साथ एक आउटर कवर पैकेट में सील बंद कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी के पास जमा करवा दिया। इसके पश्चात् खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर की जाँच रिपोर्ट संख्या एलएस/426/एक्ट/2016/ 1153 दिनांक 22.03.2016 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के-677 सांवरिया घी मिसब्रान्ड होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर ने पत्र क्रमांक - दिनांक - की पालना में अभियुक्त के विरुद्ध एफ एस एस ए एक्ट 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 25.05.2016 को प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त को जरिए नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त श्री जसवंत राय स्वयं उपस्थित हुआ। जवाब पेश नहीं किया तथा निवेदन किया कि नरमी का रूख अपनाते हुए उसके प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावे।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त श्री जसवंत राय से लिया गया सांवरिया घी का सैम्पल के-677 जाच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/426/एक्ट/2016/1153 दिनांक 22.03.2016 द्वारा Contravention of Regulation No. 2.2.2(3)(ii) of Food and Standard (Prohibition and Labelling) Regulation, 2011 पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZF)(C)(i) के उल्लंघन का अपराध साबित होता है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि जाँच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/426/ एक्ट/2016/1153 दिनांक 22.03.2016 में sample of सांवरिया घी is misbranded food under section 3(1)(zf)(C)(i) of the Food Safety and Standard Act 2006 पाया गया है।

Leav

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया sample of सांवरिया घी is misbranded food under section 3(1)(zf)(C)(i) of the Food Safety and Standard Act 2006. जाँच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त श्री जसवंत राय को एफएसएस एक्ट 2006 3(1)(zf)(C)(i) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री जसवंत राय को under section 3(1)(zf)(C)(i) of the Food Safety and Standard Act 2006 के अन्तर्गत राशि रुपये 3,000-00 (अखरे रुपये तीन हजार मात्र) के आर्थिक बण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/11/16
(करतारसिंह पूनियाँ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
आतिथिक जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

